



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 12, गुरुवार, शके 1940-अक्टूबर 4, 2018

Asvina 12, Thursday, Saka 1940-October 4, 2018

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 04, 2018

संख्या प.2(30) विधि/2/2018 :- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हुई, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 22)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हुई)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(च) कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है"; और

(ii) परन्तुक के विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए,-

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मे किसी अतिरिक्त बच्चे पर विचार नहीं किया जायेगा;

(ख) कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं (ऐसे प्रारम्भ की तारीख से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मा बच्चा, यदि कोई हो, को छोड़कर), उस खण्ड के अधीन तब तक निरहित नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को रही उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;

(ग) बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो।

स्पष्टीकरण.- शब्द "दिव्यांगता" में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम

सं. 49) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी।"

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, October 04, 2018

No. F. 2 (30) Vidhi/2/2018 :- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English Language of Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (2018 Ka Adhiniyam Sankhyank 22) :-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
ACT, 2018**

(Act No. 22 of 2018)

(Received the assent of the Governor on the 1st day of October, 2018)

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

(i) for the existing clause (f), the following shall be substituted, namely:-

"(f) is suffering from any bodily or mental defect or disease rendering him incapable for work";
and

(ii) for the existing clause (iv) of the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"(iv) for the purpose of clause (i),-

- (a) the birth during the period from the date of commencement of this Act, hereinafter in this proviso referred to as the date of such commencement, to 27th November, 1995, of an additional child shall not be taken into consideration;
- (b) a person having more than two children (excluding the child if any, born during the period from the date of such commencement, to 27th November, 1995) shall not be disqualified under that clause for so long as the number of children he had on the date of commencement of this Act does not increase;
- (c) while counting the total number of children a child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Explanation.- The word "disability" shall include any type of disabilities specified in or under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).".

महावीर प्रसाद शर्मा,

Principal Secretary to the Government.